सं0– 662/IV(2)-श0वि0–2013–13(JnNURM)10

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 : देहरादूनः दिनांक– 22 मई, 2013

विषयः– जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के उप मिशन आई0एच0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद, चम्पावत की मलिन बस्तियो में आवासों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या भा0स0–87/IV(2)–श0वि0–10–13 (एन0यू0आर0एम0)/10, दिनांक 08–06–2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जेएनएनयूआरएम के उपमिशन आई0एच0डी0पी0 के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद, चम्पावत (तत्कालीन नगर पंचायत) की मलिन बस्तियों में आवासों के निर्माण हेतु ₹ 381.15 लाख की डी0पी0आर0 संस्तुत की गयी थी तथा प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश ₹ 107.47 लाख तथा राज्यांश ₹ 83.11 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल ₹ 190.58 लाख अवमुक्त की गयी है।

2– उपरोक्त के क्रम में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 59(6)/PFI/2012–1789, दिनांक 29–3–2013 द्वारा उक्त योजना की द्वितीय किस्त केन्द्रांश ₹ 107.46 लाख अवमुक्त किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रांश के रूप में प्राप्त ₹ 107.46 लाख तथा इसके सापेक्ष लाभार्थी अंश ₹ 14.94 को घटाने के पश्चात देय राज्यांश ₹ 68.17 लाख की धनराशि सहित कुल **₹ 175.63 लाख (रूपये एक करोड़ पिचहत्तर लाख तिरेसठ हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर बिन्दु–2 में दी गयी व्यवस्था के उपरान्त अवशेष धनराशि को सम्बधित **नगरपालिका परिषद, चम्पावत** को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा और कार्यदायी संस्था का नियमानुसार निर्धारण करते हुए कार्यदायी संस्था को धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी। इस धनराशि को उक्त कार्य के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र प्रयोग में नहीं लाया जायेगा।

(ii) शासनादेश संख्या भा0स0–87/IV(2)–श0वि0–10–13 (एन0यू0आर0एम0)/10, दिनांक 08–06–2010 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) स्वीकृत की जा रही धनराशि के अनुरूप ही आवासों का निर्माण किया जायेगा तथा दरों में वृद्धि होने के फलस्वरूप बढ़ी हुई दरों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी। अतएव कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब न हों।

(iv) उक्त धनराशि शहरी विकास विभाग के अनुदान संख्या–13 सामान्य बजट, अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जाति उपयोजना बजट एवं अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजाति उपयोजना बजट से स्वीकृत की जा रही है। अतएव वित्तीय एवं भौतिक

प्रगति विवरण में सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लाभार्थियों का विवरण पृथक–पृथक अंकित करते हुए नोडल एजेन्सी के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(v) उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नही किया जायेगाा।

(vi) भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत उक्त योजना के कार्यो हेतु यह अवश्य सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य हेतु राज्य सरकार के बजट से धनराशि न दी गयी हो, यदि दी गयी हो तो उस धनराशि को इस अनुमोदित लागत के सापेक्ष व्यय दिखाकर विभागीय बजट से स्वीकृत बजट को शासन को समर्पित कर दिया जाय।

(vii) जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत आई0एच0एस0डी0पी0 की भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन कार्यदायी संस्था/स्थानीय निकाय/नोडल एजेन्सी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओ/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(ix) **सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी, जिसमें कि भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा।** कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

(x) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

(xi) कार्य पूर्ण होने पर इसे वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी राज्य सरकार एवं भारत सरकार को प्रेषित करा दिया जायेगा। योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण भी शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(xii) कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैर्टन से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगी।

(xiii) कार्य का परीक्षण/निरीक्षण तृतीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। जिसके लिए नोडल एजेन्सी द्वारा नामित एजेन्सी को सभी सम्बन्धित अभिलेख और सहायता नोडल एजेन्सी/स्थानीय निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(xiv) लाभार्थी अंश, लाभार्थियों से वसूल किया जायेगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष–2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायो, निगमो, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–02–आवास एवं मलिन

बस्ती सुधार योजना यू0आई0डी0एस0एम0पी0–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामे **₹ 138.75 लाख** तथा **अनुदान सं0–30**, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायो, निगमो, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–02–आवास एवं मलिन बस्ती सुधार योजना यू0आई0डी0एस0एम0पी0–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के **नामे ₹ 31.61 लाख** तथा **अनुदान सं0–31**, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191– स्थानीय निकायो, निगमो, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–02–समेकित आवास एवं मलिन बस्ती सुधार योजना यू0आई0डी0एस0एम0पी0–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामे **₹ 5.27 लाख** डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0– 101/XXVII(2)/2013, दिनांक– 17 मई, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

5– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(2)/2012, दिनांक 28–03–2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार क्रमशः अलॉटमेन्ट आई डी–S..1305300277.. एवं S....1305310278 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
सचिव।

सं0–662 (1)/IV(2)-श0वि0–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमायू मण्डल, नैनीताल।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा (साईबर ट्रेजरी), देहरादून।
5. जिलाधिकारी, नैनीताल।
6. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
9. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, चम्पावत।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।